

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 200/2023

1. बहादुर सिंह पुत्र श्री हरमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलतेज सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अमृतपाल सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

-वादीगण



बनाम्

1. सुखवीर कौर पुत्री श्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरप्रीत कौर पत्नी बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखवन्त सिंह पुत्र श्री हरमन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. अवतार कौर पत्नी सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।
5. कुलविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।
6. जगदीप सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।
7. जसविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।
8. रणजीत कौर पुत्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।
9. वीरदेवेन्द्र कौर पुत्री सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसीले संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

जय कौशिक
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- प्रतिवादीगण
लगातार --2

वादीगण की ओर से
प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से

:- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट
:- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 8.1.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है तथा वादीगण तथा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 व 3 डिक्री किया जाकर वादीगण का खाता दावा की दफा 9 के मुताबिक तथा प्रतिवादी सं. 1 व 3 का खाता जवाब दावा मय काउंटर क्लेम की दफा 13 के मुताबिक अलग-अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 4 आई.डी.जी. के खाता सं. 70/61 खाता अमृतपाल सिंह वगैरा जमाबन्दी सं. 2071-74 में दर्ज कुल 3.795 है. कृषि भूमि में से 2.239 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को तथा 1.556 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से वादी सं. 1 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 208/28 खाता अमृतपाल सिंह वगैरा जमाबन्द सम्बत् 2072-75 में दर्ज कुल 1.265 है. आराजी का वादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता में से वादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा इसी चक के खाता सं. 209/168 खाता अमृतपाल सिंह वगैरा में दर्ज कुल 1.771 है. में से 0.506 है. आराजी का वादी सं. 2 तथा 1.265 है. आराजी का वादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से वादी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 121/101 खाता अमृतपाल सिंह वगैरा में दर्ज कुल 4.301 है. कृषि भूमि में से 1.350 है. कृषि भूमि का वादी सं. 1 को तथा 0.844 है. कृषि भूमि का वादी सं. 3 को तथा शेष 2.107 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी

लगातार --3

महान्यायक कलेक्टर एच
उपलब्ध अधिकारी
संगरिया

सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक 4 एन.के.आर. ए के खाता सं. 4/4 खाता अवतार कौर वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में दर्ज कुल 4.554 है. कृषि भूमि में से 0.253 है. कृषि भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दावा की दफा 9 निम्न प्रकार से है:-
(क) वादी सं. 1 बहादुर सिंह पुत्र श्री हरमन्दर सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 4 एन.के.आर. ए जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 खाता सं. 76/67

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 151/140 | 21 | 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता, 7/0.253 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, कुल 0.759 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि |



चक 3 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 खाता सं. 209/168

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 152/140 | 96 | 9,10/0.253 है.प्र., कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि |

चक 3 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता सं. 121/101

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 150/142 | 4 | 11/0.253 है., 16/0.085 है., 17ता20/0.253 है.प्र., कुल 1.349 है. कृषि भूमि |

(ख) वादी सं. 2 बलतेज सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 4 आई.डी.जी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 70/61

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--|
| 142/124 | 18 | 13/1/0.203 है., 16/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 17/1/0.013 है., 18/0.253 है., 24/1/0.031 है., 25/1/0.019 है., 25/3/0.025 है.गै.मु. खाला |
| 142/125 | 21 | 8/2/0.190 है., 13,18/0.253 है.प्र., |

लगातार --4

महसयक कलक्टर एच
उपखण्ड अधिकारी
संगली

(च) प्रतिवादी सं. 3 सुखवन्त सिंह पुत्र श्री हरमन्दर सिंह का हिस्सा :-

चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 209/168

प.नं. मु.नं. कि.नं.

152/140

96

8,11,12,13,14/0.253 है.प्र.,

कुल 1.265 है.

चक 3 एन.के.आर. के खाता सं. 121/101

प.नं. मु.नं. कि.नं.

150/143

11

1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.खाला,

2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.खाला,


9/0.253 है., 10/0.168 है.,

16/0.168 है.मय गै.मु.,

21,22,24/0.253 है.प्र.,

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.गै.मु. खाला

कुल 2.107 है. कृषि भूमि मय गै.मु.



नोट :- यदि डिक्रीत आराजी वादीगण/प्रतिवादीगण हक बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज~~X~~..... निल~~X~~.... मुब्लिक~~X~~.....निल~~X~~.... बाबत् ...~~X~~...
...~~X~~.....निल.../००..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक~~X~~.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ...8:01:2025 को जारी किया जाता है।

Handwritten signature

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
मैलियक कलेक्टर एवं
उपखण्ड प्रशासक (राजस्व),
मंगरिया
सगरिया